क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एसपीएल–2,पंचम चरण,रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

राप्रनिम / क्षैका किश / पीयूबी–142 / दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **मैसर्स हरिओम ग्रेनाइटस एम.एल. संख्या 51 / 2019 ग्राम एकलसिंगा तहसील केकड़ी जिला अजमेर द्वारा एकलसिंगा ग्रेनाइट खनिज क्लस्टर खनन परियोजना** जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र. स.	प्रोजेक्ट का नाम	खनन पटटा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	खनिज का नाम	उत्पादन क्षमता टीपीए (आर.ओ.एम.)
1	मैसर्स हरिओम ग्रेनाइटस खसरा संख्या 879	51 / 2019	1.0740	ग्रेनाईट	157541
2	मैसर्स ए.जी. माइन्स एवं मिनरल्स	24 / 2018	1.4143	ग्रेनाईट	99006.13
3	मैसर्स सवाई भोज ग्रेनाइटस	31 / 2018	1.3006	ग्रेनाईट	182127
4	श्री गिरिराज ग्रेनाइट	57 / 2018	1.5835	ग्रेनाईट	421686
5	मैसर्स सत्य सुमन मार्बल एवं ग्रेनाइट	86 / 2018	1.0025	ग्रेनाईट	128294
6	श्री सागर शर्मा	119 / 2018	1.0229	ग्रेनाईट	166964
7	मैसर्स श्री तिरूपति ग्रेनाइट माइन्स	18 / 2019	1.3848	ग्रेनाईट	60060
8	मैसर्स अरिहन्त ग्रेनाइटस	22 / 2019	1.4797	ग्रेनाईट	203212
9	श्री जगदीश बैरवा	07 / 2019	1.0144	ग्रेनाईट	52650
10	श्रीराज गुर्जर	28 / 2018	1.0001	ग्रेनाईट	251206
11	मैसर्स अदिति ग्रेनाइट एवं मिनरल	70 / 2018	1.0	ग्रेनाईट	200000
12	मैसर्स बासारानी ग्रेनाइट	108 / 2018	1.1751	ग्रेनाईट	272764

कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 14.4519 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–2195510.13 टीपीए (आर.ओ.एम.), ग्राम एकलसिंगा तहसील केकड़ी, जिला अजमेर से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहॉ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि **मैसर्स हरिओम ग्रेनाइटस एम.एल. संख्या 51 / 2019** ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।

3. उक्त समूह खनन परियोजनासे सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :–
   1. जिला कलक्टर, अजमेर।
   2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, संस्थानिक क्षैत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला–अजमेर।
   5. तहसील–केकड़ी, जिला–अजमेर।
   6. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, लसाड़िया, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ / विकास / 2021 / 12530 दिनांक 25.11.2021 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 07 / 01 / 2022 को प्रातः 11:00 बजे, स्थान–राजीव गांधी सेवा केन्द्र, लसाड़िया, तहसील केकड़ी, जिला–अजमेर** में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षैत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ, जिला–अजमेर को भी दिये जा सकते है।

Deepak Tanwar

(दीपक तॅवर)
पर्यावरण अभियंता
एवं क्षैत्रीय अधिकारी